

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-126


दिनांक: 08-4-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक... 10वीं... दिनांक... 30-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं०. 10वीं दिनांक. 30-3-2002 प्रातः/समय 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति. आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 30-3-02.....का

कार्यवाही विवरण।

विषय:- इन्द्रा नगर ग0नि0स0स0 की योजना सई नगर में स्थित भू.स. 1,2,34, 15,16,17,18,19,19ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....B.Y..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया विचार-विमर्श के पश्चात् भू.स. 1,2,34,15,16,17,18,19,19ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 30-3-02 का  
कार्यवाही विवरण।

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी<br>समिति का नाम | गोपालपुरा गृ0नि0स0ब0 |
| 2. | योजना का नाम                               | पटेल नगर             |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0                    | :                    |
| 4. | सैक्टर नंबर                                | :                    |

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन बी-2 ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । पूर्व की बैठक में निर्णय लिए गये निर्णयानुसार समिति के सदस्यों ने मौके का निरीक्षण किया गया । तथा मौके निरीक्षण के दौरान पाया कि समिति ने पूर्व योजना मानचित्र में जिस क्षेत्र को पार्क दर्शाया है उसमें नये भू.स. 47, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 व 105 दर्शाया<sup>5</sup> तथा भू.स. 1 से 6 मौके पर खाली है । अतः उपरोक्त भूखण्डों को अस्वीकृत कर सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 30-3-02.....का  
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : दी कृष्णा गृ०नि०स०स०
2. योजना का नाम : स्कीम नं० 10
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या...A-1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । योजना के मध्य में से 22 गोदाम ओवर ब्रिज गुजरता है तथा भविष्य में ओवर ब्रिज के दोनों साइड में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक...30-3-02...का  
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : गुलाब बाडी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : पटेलपुरी T
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...A-1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मौके पर भूखण्ड पर व्यावसायिक उपयोग हो रहा है वृकि समिति आवासीय प्रयोजन की योजनाए ही स्वीकृत करने को अधिंकृत है । अतः योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 30-3-02.....का  
कार्यवाही विवरण।

- गृ0नि0स0स0
1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
  2. योजना का नाम : पटेलपुरी TT
  3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
  4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...A...1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मौके पर योजना के भूखण्ड पर व्यावसायिक गतिविधियों है। समिति आवासीय प्रयोजन की योजना को ही स्वीकृत करने को अधिकृत है इसलिए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 27.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. नेशनल हा.को.सो.लि. की योजना बजरंग विहार, जैतपुरा खसरा नम्बर 1634, 1635, 1647 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

नेशनल हा.को.सो.लि. की योजना बजरंग विहार, जैतपुरा खसरा नम्बर 1634, 1635, 1647 के अनुमोदन के संबंध में- जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 26.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना को 60:40 आवासीय एवं सडक सुविधा हेतु अनुमोदन किया जावे।
2. योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 17 दुकान संख्या 1 से 24 एवं दुकान संख्या 1 ए से 7 का हाइवे कंट्रोल बेल्ट रेग्युलेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के कारण नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना के अंदर की सडको को 20' के स्थान पर 30' की गयी।
4. दुकान 8 ए से 25 ए तक राईट आफ वे में आने के कारण नियमन नहीं किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 62 का approach योजना क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसका नियमन नहीं किया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 19, 20, 27, 28, 32 से 41, 43 का नियमन 11 के.वी. लाईन व एल.टी.लाईन शिफ्ट करने के पश्चात किया जावे।
7. भूखण्ड संख्या 63 का आंशिक भाग योजना सीमा से बाहर स्थित है अतः इस भाग का नियमन नहीं किया जावे।
8. योजना का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक से आवासीय किया जावे।

  
वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)